

27.11.2025:—पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। विभाजन प्रस्तव अनुसार निर्णय व डिक्री अलग से लिखाया जाकर खुले उए न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को डिक्री की पालना में पत्र जारी कर शामिल मिशाल किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

DR

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़